Bihar Special Security Group (Amendment) Act, 2010

Act 10 of 2010

Amendment append: 28 of 2017

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 चैत्र 1932 (श0)

(सं0 पटना 261) पटना, मंगलवार, 13 अप्रील 2010

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

13 अप्रील 2010

सं0 एल0जी0-1-11/2010/लेजः 120—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 08 अप्रील, 2010 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता हैः-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 10, 2010]

बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) अधिनियम, 2010

प्रस्तावनाः—जबकि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों एवं उनके अव्यवहित पारिवारिक सदस्यों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने के विचार से बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत विशेष सुरक्षा दल मुहैया करायी जाती है।

जबकि उग्रवादियों एवं आतंकवादी संगठनों से अनुभूत खतरों को ध्यानगत रखते हुए यह उचित समझा गया है कि मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्रियों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाय।

अतएव बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) में संशोधन आवश्यक हो गया है।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।– (1) यह अधिनियम, बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 8, 2000 की धारा–4 का संशोधन। बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2000 की धारा–4 में

(i) उप–धारा–(2) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा–

''(2) विशेष सुरक्षा दल आसन्न सुरक्षा प्रदान करेगा:–

(क) मुख्य मंत्री।

(ख) मुख्य मंत्री के अव्यवहित पारिवारिक सदस्यों।

(ग) पूर्व मुख्य मंत्रियों को पद त्याग की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के लिए।

परंतु पूर्व मुख्यमंत्री पाँच वर्ष की अवधि समाप्ति के पश्चात् उचित सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनके आवास एवं राज्य के अन्तर्गत यात्रा भ्रमण के दौरान, बुलेटप्रुफ वाहन इत्यादि के पात्र होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अनुसार अथवा इस संबंध में कोई आदेश निर्गत किया जायेगा।

परंतु यह और कि पदावधि को ध्यान में रखे बिना पूर्व मुख्य मंत्रीगण पटना शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत सुरक्षित क्षेत्र में निःशुल्क सरकारी आवास के पात्र भी होंगे।''

(ii) एक नई उप–धारा–(3) को निम्नलिखित रूप से अंतःस्थापित किया जायेगा तथा विद्यमान उपधारा (3) एवं (4) उप–धारा (4) एवं (5) के रूप में क्रमांकित किया जायेगा–

''(3) यदि कोई पूर्व मुख्यमंत्री के अव्यवह्ति पारिवारिक सदस्य भी पूर्व मुख्य मंत्री रहे हों तो उप–धारा (2) की आवासीय एवं आवासीय सुरक्षा गार्ड प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को दोहराया नहीं जा सकेगा।''

13 अप्रील 2010

सं0 एल0जी0-1-11/2010/लेजः 121——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 8 अप्रील 2010 को अनुमत बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) अधिनियम, 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :—

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 10, 2010]

THE BIHAR SPECIAL SECURITY GROUP (AMENDMENT) ACT, 2010

AN

ACT

PREAMBLE:—WHEREAS, with a view to provide adequate security to the Chief Minister, Ex-Chief Ministers and immediate family members of the Chief Minister, special security group is provided under the provision of Bihar Special Security Group Act 2000.

WHEREAS, in view of the perceived threat from extremists and terrorist group it is considered expedient to provide adequate security to the Chief Minister and Ex-Chief Ministers.

NOW THEREFORE, it is necessary to amend the Bihar Special Security Group Act 2000 (Bihar Act 8 of 2000).

BE it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty one year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title extent and commencement.*—(1) This Act may be called The Bihar Special Security Group (amendment) Act, 2010.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Amendment of Section -4 of Bihar Act 8, 2000.*—In Section 4 of The Bihar Special Security Group Act 2000 -

(i) Sub Section (2) shall be substituted as follows, namely-

"(2)The special security group shall provide proximate security to:-

(*a*) The Chief Minister,

(*b*) Immediate family members of the Chief Minister.

(*c*) Ex-Chief Ministers for a period of 5 years from the date they have demitted office.

Provided that on expiry of five years after demitting office, the Ex-Chief Ministers shall be entitled to adequate security by providing sufficient security personnel, at their residence and during their movement in journey throughout the state, bullet proof vehicles etc. in such manner as may be prescribed by the State Government in the rules or by issuance of an order to that effect.

Provided further that the Ex-Chief Ministers, irrespective of their tenure would also be entitled to a free government accommodation in the protected area within Patna urban area."

(*ii*) A new Sub-Section (3) shall be inserted as follows and exsiting SubSection (3) and (4) shall be renumbered as Sub-Section (4) and (5) -

"(3) If any immediate family member of the Ex-Chief Minister has also been Ex-Chief Minister, the facilities of accommodation & house guard to be provided in Sub-Section (2) shall not be duplicated."

By order of the Governor of Bihar,
RAJENDRA KUMAR MISHRA,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 261-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 अग्रहायण 1938 (श0)
(सं0 पटना 1186) पटना, शुक्रवार, 15 दिसम्बर 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

15 दिसम्बर 2017

सं० एल0जी0-01-28/2017-218/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 13 दिसम्बर 2017 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार ,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 28, 2017]

बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) अधिनियम, 2017

बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

यतः, राज्य में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों एवं उनके अव्यवहित पारिवारिक सदस्यों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने के विचार से **बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000** के प्रावधानों के अधीन विशेष सुरक्षा दल उपलब्ध किया गया है; और

यतः, विशेष सुरक्षा दल में **531 पदों के सृजन** के कारण सभी पदाधिकारियों/कर्मियों पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण हेतु वर्तमान प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है; और

यतः, **बिहार विशेष सुरक्षा अधिनियम, 2000** में निहित वर्तमान प्रावधान में राज्य सरकार द्वारा **समादेष्टा एवं उप समादेष्टा** के पदों की **नियुक्ति** के प्रावधान हैं, जो वर्तमान चुनौतीपूर्ण सुरक्षा परिदृश्य एवं दल के आकार में वृद्धि को देखते हुए पर्याप्त नहीं है;

इसलिए अब, **बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) में संशोधन आवश्यक** हो गया है।

भारत–गणराज्य के **अड़सठवें वर्ष** में **बिहार राज्य विधान मंडल** द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।– (1) यह अधिनियम, बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) इसका **विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में** होगा।

(3) यह **तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त** होगा।

2. बिहार अधिनियम 8, 2000 की धारा–5 में संशोधन ।– बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 की **धारा–5** की **उपधारा (2)** एवं **(3)** क्रमशः निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित** की जाएंगी :–

"(2) राज्य सरकार पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा को विशेष सुरक्षा दल के प्रमुख के रूप में नामित करेगी।"

"(3) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा की सहायता राज्य सरकार द्वारा यथानियुक्त एक पुलिस उप महानिरीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा, एक समादेष्टा, उप समादेष्टओं एवं सहायक समादेष्टाओं द्वारा की जाएगी।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार ,
सरकार के संयुक्त सचिव।

15 दिसम्बर 2017

सं० एल0जी0-01-28/2017-219/लेज––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर 2017 को अनुमत **बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) अधिनियम, 2017** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार ,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 28, 2017]

Bihar Special Security Group (Amendment) Act, 2017

AN

ACT

To amend the Bihar Special Security Group Act, 2000 (Bihar Act 8, 2000).

Whereas, with a view to provide adequate security to the Chief Minister, Ex-Chief Ministers and immediate family members of the Chief Minister, Special Security Group is provided under the provision of **Bihar Special Security Group Act, 2000;** and

Whereas, due to **creation of 531 posts** in the Special Security Group, for effective administrative control, there is a need for an amendment in the present provisions.

Whereas, the present provisions of **appointment** to the posts of **Commandant and Dy.Commandants** by the State government in the **Bihar Special Security Group Act, 2000** is not

adequate, considering latest challenges in the security scenario and in view of the increase in the size of the Group.

Now, therefore, it is **necessary to amend the Bihar Special Security Group Act, 2000 (Bihar Act 8 of 2000).**

Be it enacted by the **legislature of the State of Bihar** in the **Sixty eighth year** of the Republic of India as follows :-

1. ***Short title, extent and commencement.***— (1) This Act may be called **The Bihar Special Security Group (Amendment) Act, 2017.**

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. *Amendment in section-5 of the Bihar Act 8, 2000.— Subsection (2) and (3) of section-5 of Bihar Special Security Group Act, 2000 shall be substituted by the following respectively :-*

" (2) State Government shall nominate Inspector General of Police (Security), Special Branch as the Head of Special Security Group."

" (3) Inspector General of Police (Security), Special Branch shall, in the discharge of his duties under this Act, be assisted by one Deputy Inspector General of Police (Security), Special Branch, one Commandant, Deputy Commandants and Assistant Commandants as may be appointed by the State Government."

By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1186-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in